



--: प्रशासकीय स्वीकृति संशोधित आदेश :-

पत्र क्रमांक 936/मु.का.अ./एस.बी.एम.(ग्रा.)/जि.पं./2020

धमतरी दिनांक 07/10/2020

कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 09.07.2020 को दिये गये अनुमोदन उपरांत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अंतर्गत 70 ग्रामों में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की प्राक्कलन अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक 856/मु.का.अ./एस.बी.एम.(ग्रा.)/जि.पं./2020 धमतरी दिनांक 29.08.2020 द्वारा प्रदान किया गया है। जिसमें सरल क्रमांक 37 में ग्राम पंचायत परसवानी ग्राम परसवानी विकासखण्ड कुरुद लिखा गया है, जिसे संशोधित कर ग्राम पंचायत कमरौद ग्राम परसवानी किया जाता है।

क्र.	विकास खण्ड	प्रशा.स्वी. पत्र में ग्राम पंचायत का नाम	संशोधित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम/ग्रामों का नाम	सामुदायिक शौचालय की संख्या	प्रति सामुदायिक शौचालय निर्माण की राशि रु. 3.00 लाख		
						एस.बी.एम. की राशि	पंचायत का अंशदान या 15वें वित्त की राशि	कुल राशि रु. लाख में
						(70 प्रतिशत)	(30 प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	कुरुद	परसवानी	कमरौद	परसवानी	1	2.10	0.90	3.00

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) धमतरी (छ0ग0)

पत्र क्रमांक 937/मु.का.अ./एस.बी.एम.(ग्रा.)/जि.पं./2020

धमतरी दिनांक 07/10/2020

प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. जिला सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टोरेट परिसर धमतरी की ओर उक्त प्रशासकीय स्वीकृति आदेश को जिला की वेब साईट में डालने हेतु प्रेषित।
03. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग, कुरुद जिला धमतरी को ओर सूचनार्थ।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुरुदजिला धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत विकासखण्ड कुरुद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) धमतरी (छ0ग0)